



बोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाबली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.02.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री भोला यादव,
स०वि०स०
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,
स०वि०स०
श्री चन्द्र शेखर,
स०वि०स०
श्री विजय प्रकाश,
स०वि०स०
श्री राजेन्द्र कुमार,
स०वि०स०
श्री अत्री मुनी उर्फ
शक्ति सिंह यादव,
स०वि०स०

देश के कई राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सामान्य प्रशासन तमिलनाडु, झारखण्ड, प० बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों में राज्य के सरकारी नौकरियों एवं राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु स्थानीय अध्यर्थियों के लिए आरक्षण 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक लागू है। बिहार में अभी तक स्थानीय आरक्षण नीति लागू नहीं हुआ है जिसके कारण इस प्रदेश की सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में दूसरे प्रदेश के अध्यर्थी अधिकांश सीट पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि हमारे राज्य के बच्चे दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

अतः बिहार राज्य के सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु स्थानीय अध्यर्थियों के लिए स्थानीय आरक्षण 90 प्रतिशत लागू कराने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

2. श्री तारकिशोर प्रसाद,
स०वि०स०
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री संजय सरावणी,
स०वि०स०
श्री विनोद प्रसाद यादव,
स०वि०स०
श्री रामचंद्र सहनी,
स०वि०स०
श्री अजय कुमार सिंह,
स०वि०स०

राज्य में कृषि विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राज्यादेश संख्या-1304, दिनांक-08.08.2010 के आलोक में किसान सलाहकारों का नियोजन किया गया है। इनके कठिन परिश्रम से विभागीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में मदद मिली है। ये दस (10) वर्षों से नियमित कर्मी की भाँति तकनीकी एवं गैर तकनीकी योजनाओं का कार्यान्वयन करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य यथा जनगणना, पशुगणना, चुनाव कार्य, विधि व्यवस्था, राशन कूपन वितरण, ऑनलाइन क्रौप कटिंग, फसल सहायता सत्यापन, धान अधिप्राप्ति, सात निश्चय एवं जल जीवन हरियाली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन भी करते हैं।

अतः किसान सलाहकारों को पंचायत स्तरीय कृषि प्रसार संविदा कर्मी के रूप में मान्यता देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

बटेश्वर नाथ पाण्डे
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/20- ५७३

/ वि०स०, पटना, दिनांक- २७ फरवरी, 2020 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२७.२.२०२०
(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/20- ५७३

/ वि०स०, पटना, दिनांक- २७ फरवरी, 2020 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

२७.२.२०२०
(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।
*१०८८८
३३१७७*